

19  
19  
171  
19x  
361

## भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) Globalization

भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ है ⇒

भूमंडलीकरण पूरे विश्व को एक गाँव बनाने की बात करता है। नये संदर्भ में भूमंडलीकरण वह व्यवस्था है, जिसमें पूँजी राष्ट्रीय सीमाओं को लाँघकर मुक्त रूप से विचरण करती है, और अपने विस्तार के लिए सस्त प्रेम सस्त कच्चे माल की तलाश में रहती है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तिय संस्थाओं तथा समीर देशों के दबाव में राज्यों के नियम-कानून समाप्त किये जाते हैं एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समाकलित किया जाता है। इसमें दुनिया भर का व्यापार आपस में जुड़ा होता है।

डॉ. विमल जालान के अनुसार, "भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कई तरह से हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है - इस अर्थ के अनुसार अब राज्यों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है दुनियाँ काफी छोटी हो चुकी है और कोई देश अपना नुकसान करके ही शेष विश्व से खुद को अलग-थलग रख सकता है। भूमंडलीकरण का दूसरा अर्थ ⇒ यह देशी हितों के स्थान पर दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को उपर रखने वाले नीतिगत बदलाव का नाम है।

### भूमंडलीकरण के तत्व

- ⇒ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधों को कम करना।
- ⇒ आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह सम्भव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना।
- ⇒ विभिन्न देशों के बीच पूँजी का स्वतन्त्र प्रवाह सम्भव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियों पैदा करना।
- ⇒ अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह सम्भव बनाना।

- ⇒ विभिन्न देशों के बीच कच्चे माल का मुक्त भाव से बिना किसी शैक-टोक के अन्तर्गमन एवं बहिर्गमन ।
- ⇒ सूचना प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक एवं परम्परागत साधनों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं, आंकड़ों, ज्ञान, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विचारधाराओं का आदान-प्रदान करते हुए सारे विश्व को वैश्विक गांव के रूप में संस्थापित करना ।

### भूमंडलीकरण की विशेषताएँ

- (6) कच्चे माल का स्वतंत्र प्रवाह
- (1) व्यापार अवरोध कम करना
- (2) प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह
- (3) पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह
- (5) श्रम का निर्बाध प्रवाह
- (4) सूचनाओं, आंकड़ों, ज्ञान, सांस्कृतिक व धार्मिक विचारधाराओं का आदान-प्रदान

### भूमंडलीकरण की विशेषताएँ -

- (1) विश्व का एक वैश्विक गांव के रूप में संस्थापित होना - यातायात और संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास के चलते भौगोलिक दूरियाँ सिमट गई हैं। अब न केवल व्यापार, तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र, बल्कि लोगों का भी सीमा पार आवागमन सुस्ता एवं सुगम हो गया है। कम्प्यूटर और इन्टरनेट भी तेजी से विश्व को जोड़ रहा है।
- (2) अर्थव्यवस्था का समन्वय - दो अर्थव्यवस्थाओं के मध्य उत्पादों एवं सेवाओं का मुक्त वातावरण होने वाले विनिमय से ही उनका समन्वय संभव होता है विगत

दशकों में ऐसे ही वातावरण का निर्माण वैश्विक स्तर पर हुआ है जिसका मुख्य कारण भूमंडलीकरण की संकल्पनाओं का विकास एवं विस्तार है। इस प्रकार समन्वय की सहायता से उत्पादों एवं सेवाओं के सीमावर्ती प्रवाह में अप्रत्याशित वृद्धि होती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है।

(3) ग्लोबल संस्कृति ⇒

वैश्वीकरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दूर-दूर तक पहुँचकर एक वैश्विक संस्कृति की स्थापना हो गयी है। जॉन्स, टी शर्ट, फास्ट-फूड, पॉप संगीत, हॉलीवुड फिल्म एवं सैटेलाइट टेलीविजन की संस्कृति आज के हर युवक की संस्कृति है। इस प्रकार उपभोक्तावाद भी एक वैश्विक संस्कृति के रूप में भूमंडलीकरण की एक विशेषता है। भ्रष्टाचार तथा अपराध के तरीकों का भी वैश्वीकरण हो इस प्रकार भूमंडलीकरण में एक वैश्विक संस्कृति का जन्म होता है।

(4) विश्व व्यापी श्रम बाजार ⇒

भूमंडलीकरण के अन्तर्गत श्रम बाजार विश्वव्यापी हो जाता है। उदाहरण के लिए भूमंडलीकरण से पूर्व की अवस्था में 1965 में लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार की दृष्टि से प्रवासित हुए थे, लेकिन वैश्वीकरण के चलते 1999 में प्रवासी श्रमिकों की संख्या 12 करोड़ से अधिक हो गई है और वर्तमान में यह संख्या ⇒

(5) श्रम बाजार के एजेंटों का सक्रिय होना =

श्रम बाजार में विशेषकर श्रम निर्यातक देशों में, श्रम एजेंट सक्रिय हो जाते हैं जो वैध एवं अवैध दोनों तरीकों से लोगों को विदेशों में काम दिलवाते हैं।

(6) शिक्षा का भूमंडलीकरण ⇒

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का भी भूमंडलीकरण हो जाता है। यही कारण है कि आज अनेक विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम भी विश्वस्तरीय हो गये हैं जिससे शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विश्व में कहीं भी रोजगार पा सकते हैं।


(7) पेशेवरों की लचीली आवाजाही ⇒

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में पेशेवरों की आवाजाही तीव्र हो जाती है। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, वकील, वास्तुविद, लेखाकार, पब्लिशक, बैंकर एवं कम्प्यूटर विशेषज्ञ आदि पेशेवरों का विदेश आवागमन भी पूर्ण उपाह की तरह लचीला हो जाता है।

(8) कार्यकुशलता अन्वयन ⇒

तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त के आधार पर ही उत्पादन क्षेत्र में विशेषतः दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी देश द्वारा ऐसे दृष्टिकोण की प्राप्ति के उपरान्त उत्पाद विशेष के विपणन हेतु बाजारों की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

(9) प्रमुख कर्ता ⇒ U.N.C.P. की द्वाारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख कर्ता ⇒



(W.T.O.)

(i) विश्व व्यापार संगठन ⇒

विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों के उपर अपना वर्चस्व एवं प्रभुता रखता है।

(ii) बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ ⇒ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जिनके माध्यम से पहले उत्पादित वस्तुएँ, सेवा, तकनीक, पूँजी आदि की आवाजाही होती है, आज भूमण्डलीकरण के युग में ये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार देने वाले की भूमिका निभा रही है। भिन्न-भिन्न देशों से विशेषज्ञ, प्रबन्धकों कुशल-अर्द्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्ति इन निगमों द्वारा की जाती है। इन नियुक्त कर्मचारियों को विश्वभर में फैले निगम की विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया भी श्रम-प्रवाह को बढ़ावा देती है।

## भूमण्डलीकरण के लाभ

(i) निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, आरिष्टा जैसी समस्याओं का निराकरण ⇒

वैश्वीकरण के समर्थकों - मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा विकसित देशों की निजी कंपनियों एवं सरकारों का तर्क है कि वैश्वीकरण को अपनाकर तृतीय विश्व में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, आरिष्टा जैसी गंभीर समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। वैश्वीकरण के सहारे पूँजी निर्माण की समस्या तथा कमी से ग्रसित विकासशील एवं पिछड़े देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से निवेश बढ़ाया जा सकता है। नए निवेश से राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में वृद्धि होगी।

(2) उत्पादन क्षमताओं का विकास → औद्योगिक प्रगति में पिछड़े देश वैश्वीकरण के माध्यम से विश्व की आधुनिकतम तकनीक प्राप्त करके अपनी उत्पादन क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। और इस प्रकार से अपने निर्यात की सूची में प्राथमिक वस्तुओं के साथ-साथ विनिर्माणी वस्तुओं को शामिल करके निर्यात को बढ़ा सकते हैं।

(3) विकासशील देशों के लिए रोजगार की बेहतर सम्भावनाएँ → भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ उच्च शिक्षित, परिश्रित श्रम-बल अधिकता में है, अपने अतिरिक्त श्रम हेतु विकसित एवं विकासशील देशों में रोजगार की बेहतर सम्भावनाएँ तलाश सकते हैं, जैसे कि भारत के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रबंध विशेषज्ञ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के मरूदण्ड हैं।

(4) इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास तथा आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों की स्थापना →

भूमण्डलीकरण में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देकर तथा निवेश के मामले में धरल एवं विदेशी कंपनियों के बीच सुगम प्रकार का भेदभाव मिटाकर सड़क एवं राजमार्ग, रेलों, बन्दरगाहों, हवाई अड्डों का विकास किया जा सकता है। विद्युत ग्रह, तेल शोधशालाओं, आधारभूत एवं प्रमुख उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

(5) सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का सम्पूर्ण विश्व पर प्रभाव = भूमण्डलीकरण से सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं व मुद्दों ने विश्वव्यापी रूप ले लिया है। अब किसी क्षेत्र की समस्याओं पर सारा विश्व विचार करता है क्योंकि सबके हित आपस में जुड़े हुए हैं।

(6) ज्ञान की प्राप्ति  $\Rightarrow$

भूमण्डलीकरण के अन्तर्गत टेलीफोन, सेल्यूलर फोन, इन्टरनेट, ई-मेल, ई-व्यापार, ई-चिकित्सा, ई-शिक्षा, कम्प्यूटर जनित सूचना प्रौद्योगिकी के सहारे विश्व के किसी भी भाग में स्थित सर्वोत्तम ज्ञान को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है।

(7) विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन  $\Rightarrow$

भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के तीव्र विस्तार से विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में विश्व-व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त क्षेत्र तथा विदेशी मुद्रा बाजार का विस्तार होता है जिससे विकास की गति तेज होती है। सहम-सहज का स्तर उंचा होता है तथा देशों और व्यक्तियों के लिए विकास व रोजगार के नए-नए अवसर मिलते हैं।

### भूमण्डलीकरण से हानियाँ

(1) उपनिवेशवाद का ताजा संस्करण  $\Rightarrow$

तृतीय विश्व के देशों के अनेक नेता वैश्वीकरण को 19 वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद का ही ताजा संस्करण मानते हैं, यही कारण है कि वैश्वीकरण को नव-उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। तृतीय विश्व के नेताओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं-उपनिवेशवादी खतरा है।

(2) पूजातन्त्र के विपरीत  $\Rightarrow$

वैश्वीकरण पूजातन्त्र के विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करता है। प्राचीन समय में दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता होती थी, परन्तु आज वैश्वीकरण के कारण दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही पर्याप्त होता है कि

वातय प्रवाह को रोक दिया जाये, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाये, अथवा अनेक प्रकार से दूसरे देशों में जीविका - उपार्जन को प्रभावित किया जा सकता है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम प्रवास में कमी → जहाँ पिछले 25 वर्षों में भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास में स्पष्ट कमी आई है इसका कारण यह है कि भूमण्डलीकरण का सन्ध्यागत ढांचा भेदभाव से भरा है। एक तरफ तो यह प्रावधान है कि, राष्ट्रों की सीमाएँ व्यापार एवं पूँजी प्रवाह में बाधक न बन, दूसरी ओर तकनीक और श्रम प्रवाह के मार्ग में विकसित देशों द्वारा अड़चने डाली जा रही है।

विकसित देश यह उम्मीद करते हैं कि विकसशील देश अपने बाजार अमीर देशों के लिए खोल दें। तथा पूँजी निवेश अपने यहाँ होने दे, लेकिन बदले में विकसित देशों से तकनीक तथा निर्विघ्न श्रम प्रवाह की मांग न करे।

(4) राष्ट्रों और लोगों के आय स्तरों के बीच की खाई बढ़ना ⇒

पिछले 35 सालों में भूमण्डलीकरण के चलते राष्ट्रों और लोगों के आय स्तरों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आय वितरण की असमानताएँ भी बढ़ी हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व समाजवादी देशों में गरीबी बढ़ी है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। इसलिए अधिकतर श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करने पर मजबूर हैं, जहाँ उत्पादकता और मजदूरी स्तर निम्न है।

(5) पिछड़े राष्ट्रों को टाजि ⇒

पिछड़े पिछले वर्षों में



भूमंडलीकरण के दौर में अमीर और विकसित देशों को लाभ हुआ है तथा इस प्रक्रिया में सम्पतिशाली, उच्च शिक्षित पेशेवर, पक्कन तकनीक का ज्ञाता तथा लाभ हेतु जगह-जगह पहुँचने में सक्षम का को लाभ पहुँचा है और छोटे-मोटे काम करने वाले, जोखिम नु उठाने वाले और किराये की तकनीक अपनाने वाले नुकसान में रहे हैं।

(6) सदस्य राष्ट्रों की सम्पुष्टता का हनन ⇒

भूमंडलीकरण के दौर में विश्व व्यापार संधि जैसे निकायों के दायरे में वे मामले भी आ गये हैं जो आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं और पूरी तरह सम्पुष्ट राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। इसे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है लेकिन इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की सम्पुष्टता का हनन करना और उनके अधिकारों को सीमित करना है।

(7) क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा ⇒

भूमंडलीकरण का अन्य दुष्प्रभाव यह है कि विदेशी कम्पनियाँ क्षेत्रीय असन्तुलन को तीव्र कर देती हैं। जैसे भारत में विदेशी कम्पनियों को जो अधिकार नवीन स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं। उनका 50% से ऊपर निवेश महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल व दिल्ली राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए है। इससे क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा मिलता है जो राष्ट्र के हित में नहीं है।

विरुद्ध लेखक प्रदीप एस. मेहता का मानना है कि "वैश्वीकरण ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाह्य धक्का के शीत कमजोर एवं निरीह बना दिया है क्योंकि ये देश बाह्य असन्तुलनों का सामना करने लायक यांत्रिकी से लैस नहीं हैं।

## भूमंडलीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव

1) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के महत्व में वृद्धि ⇒

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं की भूमिका और महत्व में वृद्धि हुई है।

2) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ⇒

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के चलते "विश्व व्यापार संगठन" जैसे ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई जो विश्व व्यापार के क्षेत्र में पुलिसमैन की भूमिका का निर्वहण करने लगा है। सिद्धान्ततः तो इस संगठन की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए की गई है, लेकिन व्यवहार में यह संगठन सामूहिक और अलग-अलग तौर पर विकासशील देशों के अर्थतन्त्र, समाज और राजनीति पर प्रभुत्व जमाने का माध्यम है।

3) बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव ⇒

भूमंडलीकरण से बहुराष्ट्रीय निगमों को खली दृष्ट मिल गया है और बहुराष्ट्रीय निगम निर्धन राष्ट्रों पर धुनी-राष्ट्रों के नव-अनिवेशीय नियंत्रण के वाहक हैं।

4) गरीब देशों की अमीर देशों पर बढ़ती निर्भरता ⇒

राजनीतिक अर्थ में विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाने का अर्थ होगा गरीब देशों की अमीर देशों पर निर्भरता का बढ़ना। यह निर्भरता अन्ततः राजनीतिक निर्भरता और सामाजिक - राजनीतिक कीमत चुकाने तक जाता है।

5) कार्य संस्कृति पर प्रभाव ⇒

भूमंडलीकरण का कार्य संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा सुविधाएँ देकर न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ा रही हैं बल्कि कार्य-संस्कृति (work culture) पर भी कुठारघात कर रही हैं।

आज इन बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपनियों की वजह से कर्मचारियों का ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो बेहतर वेतन एवं सुविधाओं के लालच में इनकी तरफ मुड़ता जा रहा है, एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी इस तरफ वेतन व सुविधाओं के मुद्दों को लेकर आर्थे दिनु हड़ताल, प्रदर्शन, काम रोक आदि में लगे हैं। इससे जहाँ हमारे अरबों रूपय का कोई मूल्य नहीं रहता, वहीं कार्य दिवसों में हानि की वजह से औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है।

6) सामाजिक - राजनीतिक समस्याओं का विश्वव्यापी रूप ले लेना ⇒

भूमंडलीकरण के कारण किसी क्षेत्र की समस्याओं पर सारा विश्व विचार करता है क्योंकि सबके हित आपस में जुड़े हुए हैं।

## वैश्विक आतंकवाद

आतंकवाद का अर्थ =)

आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी स्वार्थसिद्ध और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की शक्ति तथा अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में विश्वास करती है। इसमें अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय, सम्प्रदाय अथवा राष्ट्र विशेष को गैर-कानूनी ढंग से डराने, धमकाने, जान से मार देने, हिसा के माध्यम से सरकार को गिराने, शासन तन्त्र पर अपना प्रभुत्व जमाने, समाज में आतंक स्थापित करने आदि के उद्देश्य से किया जाता है।

~~वैश्विक~~

वैश्विक व अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद =)

जब आतंकवादी संगठनों के सदस्य संगठित होकर राष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों में आतंकवादी घटनाएँ करते हैं, तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय या वैश्विक आतंकवाद में कोई आतंकवादी संगठन अनेक देशों में अपना नेटवर्क फैलाकर किसी समुदाय, राष्ट्र या देश या सरकार के विरुद्ध अपने उद्देश्य को पूर्ण के लिए आतंक फैलाने की घटनाएँ कर सकता है।

आतंकवाद का इतिहास =)

आतंकवाद मानव समाज में लंबे समय से मौजूद है। कुछ शुरुआती उदाहरण यहुदी सिलसिली हैं जो मध्यपूर्व में रोमन शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे उनका मानना था कि यहूदियों को अन्य लोगों द्वारा शासित नहीं किया जा सकता उन्हें केवल भगवान द्वारा शासित किया जाना चाहिए।

एक अन्य उदाहरण गाय फॉक्स है जिसने इंग्लैंड पर कैथोलिक सम्राट को स्थापित करने के लिए एक आतंकवादी साजिश रची। फ्रांस में गणतन्त्र की स्थापना आतंक के शासनकाल के बाद हुई, एक ऐसी अवधि, जिसके दौरान राज्य आयोजित आतंकवादी बंदूक के खिलाफ काम करता है और कोई भी उनका समर्थन करने के लिए समझा जाता है।

२० वीं और २१ वीं सदी =>

आतंकवाद का आधुनिक संस्करण जिसे हम सबसे अधिक परिचित है, आतंकवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रदान किया गया था।

दुनिया के अन्य हिस्सों में लोगों को स्थानीय मुद्दों को वैश्विक ध्यान में लाने के लिए इस रणनीति को अपनाने की जल्दी थी और आधुनिक आतंकवाद का जन्म हुआ।

आतंकवाद का यह संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में एविन ट्रेड टाक्स और पैराग्वे पर ११ सितम्बर २००१ को हुआ। इस हमले के बाद अमेरिका द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य पहल शुरू की गई थी, इस पहल को आतंक पर युद्ध कहा गया।

११ मार्च २००४ को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक साध चार ट्रेनों में १० बमों का विस्फोट हुआ। इसी वर्ष ११ सितम्बर को चेचन के बेसलेन नगर में एक स्कूल में दो दिनों तक आतंकवादियों का कब्जा रहा तथा १२ स्कूली बच्चों की मौत हुई।

फरवरी २००५ में हिल्ला में आत्मघाती हमले में १०० से अधिक मौत हुई।

सन् २००५ में कश्मीर में आतंकवादियों ने अनेक आतंकी कार्यवाहियाँ की, ५ जुलाई २००५ में आतंकवादियों ने अयोध्या को अपना मिशाना बनाया।

7 जुलाई, 2005 को लंदन की भूमिगत ट्रेनो में आतंकवादियों का कब्जा रखने में विस्फोट करने में सफलता पाई

2008 में भारत में शीरियल ब्लास्ट |  
दुनिया में बड़ी आतंकवादी घटनाएँ ⇒

1978 - सिनेमा रेक्स की आग (ईरान के शहर अबादान)

1979 - बड़ी मस्जिद पर कब्जा (मक्का) = आतंकी ⇒  
मोहम्मद अब्दुल्लाह अल-कास्तानी था।

1983 ⇒  
बेस्स की बैरको पर बमबारी ⇒ दो ट्रकों में  
अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं के लिए बनी बैरको  
में विस्फोट) संघटन ⇒ इस्लामिक जिहाद - प्रमुख -  
हिजबुल्लाह।

1988 - पैन एम उड़ान में विस्फोट ⇒ इस घटना को  
"लॉकरबी बमकांड" के नाम से भी जाना जाता है।  
(जिम्मेदार) - दो लीबियाई नागरिक

1993 - मुंबई बमकांड ⇒ संघटन "डी कम्पनी" प्रमुख  
'दरुद् इब्राहिम'

1995 - ओक्लाहोमा सिटी बमकांड ⇒ टिमोथी मैकवे को  
इस घटना को अजामु देन के जुर्म में 2001 में  
जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया गया।

- 1997 - बेतंलहा, अल्जीरिया पर हमला => सशस्त्र "गुरिल्ला संगठन" ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी
- 1998 - अमेरिकी दूतावास पर बमबारी => आतंकवादी गुट अल कायदा का मुखिया "ओसामा बिन लादेन"।
- 2001 - 9/11 का हमला => अल-कायदा ने न्यूयॉर्क व वाशिंगटन पर चार हमलों का अंजाम दिया।
- 2002 - बाली बमकांड => जैमाह इस्लामिया नाम के आतंकवादी संगठन ने किया।
- 2004 - मैड्रिड की ट्रेनों पर बल हमले - अल-कायदा
- 2004 - सुपरफेरी पर विस्फोट => अबू सय्याफ गुट
- 2005 - लंदन ट्रांसपोर्ट बमबारी - लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेनों में बम विस्फोट।
- 2006 - इराक की सद्र सिटी में धमाके
- 2006 - मुंबई की ट्रेनों में बम विस्फोट - लश्कर ए तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सी.एम.आई.) ने किया
- 2007 - कराची पर बम हमला
- 2007 - बगदाद बमबारी
- 2007 - अल हिल्लाह बमबारी

2007 - यजीदी समुदायों पर वमबारी -> किसी भी समूह  
के जिम्मेदारी नहीं ली।

2008 - 26/11 का मुंबई आतंकी हमला -> लश्कर-ए-  
तैयबा (कसाब) व 9 अन्य आतंकी

2014 - पेशावर आर्मी स्कूल पर हमला -> तहरीक-  
ए-तल्लिबान संगठन

2015 - फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमला - आतंकी  
ISIS के सिलपर



## आतंकवाद के रूप

### (1) मानव बम =>

मानव बम एक ऐसा हथियार है जिसमें मरने-मरने का संकल्प लिए उच्च विस्फोटक से लैस चलता-फिरता कोई युवक या युवती मानव बम बना व्यक्ति 6 से 8 किलोग्राम आरडीएक्स का बल्ब में बांधकर अपनी कमर पर बांध रखता है जो लॉजिंग कैप और बैटरी से जुड़ी रहती है। बल्ब में भरे विस्फोटक का विस्फोटन इलेक्ट्रॉनिक पुंजाली पर आधारित होता है जिसे मात्र एक छोटे बटन को दबाकर विस्फोटित किया जा सकता है और वह बटन मानव बम बनने वाले की सुविधाजनक पहुँच के भीतर पहुँच जाता है।

विश्व में लगभग 75 से अधिक आतंकवादी संगठन हैं, जिनके पास मानव बम मौजूद हैं। इसमें लिट्टे सबसे प्रमुख हैं।

### (2) आतंकवादी संगठन ->

ये संगठन अपनी हिंसक गतिविधियों के द्वारा सम्पूर्ण जनमानस को आतंकित करते हैं। इसमें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, अल फतह, अबू मंसूर इलम, रिवोल्यूशनरी आर्गनाइजेशन हरकत उल-असॉर, मुजाहिदी कौमी मूवमेंट आदि प्रमुख हैं।

### (3) राज्य प्रायोजित आतंकवाद =>

आतंकवाद का तीसरा रूप राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। विश्व के कई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की शह व प्रशंसा दे रहे हैं। क्युबा, ईरान इराक, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी यमन और सीरिया को इस आतंकवाद का

समर्थक माना गया है। ऐसे देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम भी जुड़ गया है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

(4) इस्लामिक आतंकवाद ⇒ इस्लामिक आतंकवादी इस्लामी राज्य की स्थापना के जुनून में आतंकवादी कृत्य करते हैं, इसे वे जिहाद कहते हैं। अलकायदा इसका स्पष्ट उदाहरण है। यह विचारधारा के रूप में आतंकवादी विश्वविद्यालय खोलकर नवयुवकों को दीक्षित करता है जिन्हें आतंकवादी सेना में नियमित भर्ती की जाती है। ये प्रशिक्षित आतंकवादी छोटे राज्यों को सशयान प्रदान करते हैं तथा हथियारों की तस्करी करते हैं। तथा गैर इस्लामिक राज्यों में आतंकवादी घटनाओं को अन्जाम देते हैं।

### अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए प्रयास

(i) संयुक्त राष्ट्र संघ ⇒

संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानूनी व राजनीतिक दोनों ही उपाय करते हुए आतंकवाद की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है -

(ii) कानूनी क्षेत्र -

कानूनी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ कानूनी दस्तावेजों की रचना करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के एक नेटवर्क को विकसित किया है। ये एजेंसियाँ हैं - अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय

सामुदायिक संगठन, अन्तराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, 1

अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन -

- (1) विमानन अपराधों पर कन्वेंशन, 1963
- (2) विमानों के गैर-कानूनी कब्जे के निरोध हेतु कन्वेंशन, 1970
- (3) नागर विमानन की सुरक्षा हेतु गैर-कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन, 1971
- (4) आणविक सामग्री की भौतिक सुरक्षा पर कन्वेंशन, 1980
- (5) समुद्री - नौकायन की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कार्यों के निरोध पर कन्वेंशन - 1988
- (6) प्लास्टिक विस्फोटकों के विपणन के कन्वेंशन, 1991

महासभा के कन्वेंशन ⇒

- (1) बन्धक बनाने के खिलाफ कन्वेंशन, 1979
- (2) संयुक्त राष्ट्र सहायता - कर्मचारी की सुरक्षा पर कन्वेंशन, 1994
- (3) आतंकवादी बमबारी के निरोध के निमित्त अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन 1997
- (4) आतंकवाद को वित्त पोषण हेतु करने के निरोध के निमित्त अन्तराष्ट्रीय कन्वेंशन।

लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बहुत कम राष्ट्रों ने ही अभी तक इनकी पूर्णता की है, आधिकारिक राष्ट्रों ने इनकी पूर्णता नहीं की है।

(ii) राजनीतिक क्षेत्र ⇒ ~~संघ~~

राजनीतिक क्षेत्र में महासभा ने 1994 में अन्तराष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के उपायों पर धारणा की तथा 1996 में उसे स्वीकार किया जो आतंकवाद के सभी कार्यों को, वे जहाँ भी, जिसके द्वारा भी किए जाएं, उन्हें अपराध और अनुचित ढहराते हुए उनका भत्सना को।

12 सितम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की तथा संकल्प 1373 पारित किया। इसमें सभी राज्यों से आतंकवादी कृत्यों को धन देने से रोकने और उसका हमन करने, सम्भावित आतंकवादियों की सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा आर्थिक सहायता पर रोक लगाने तथा आतंकवादियों को किसी प्रकार के समर्थन से बचने का आह्वान किया गया।

(2) संयुक्त राज्य अमेरिका की आतंकवाद के विरुद्ध जग की नीति 2001 के बाद =)

11 सितम्बर 2001 की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध जग की नीति अपनायी। =)

- (i) आतंकवाद के विरुद्ध विश्व जनमत को साथ लेने की कूटनीति।
- (ii) आतंकवादियों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की नीति
- (iii) आतंकवाद को इस्लाम से अलग करने की नीति

(3) आतंकवाद रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन =)

(i) काउंटर टेररिज्म कमेटी (सीटीसी) =)

(ii) फिना

अधीन कार्यरत यह कमेटी राष्ट्र संघ द्वारा पारित आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन का कार्य करती है, तथा आतंकवाद से जुड़े देशों की सहायता करते हैं।

(iii) फिनांशियल एक्शन टास्क फोर्स =)

यह अन्तर्राष्ट्रीय संस्था आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों पर निगरानी रखती है।

(iii) आपरेशन ग्रीन व्हेस्ट =>

न्यूयार्क स्थित यह आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों पर रोकथाम का कार्य करता है। इसे अमेरिका ने स्थापित किया था।

(iv) काउन्टर टेररिज्म ग्रुप (सीटीएजी) - यह संगठन भी आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों पर निगाह रखता है। इसके 8 सदस्य हैं।

(v) भारत की आतंकवाद विरोधी नीति =>

आतंककारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सभी छोटे-बड़े देशों से इस बुराई के खिलाफ संगठित होकर कार्य करने पर बल दे रहा है। हालांकि विश्व के सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ तो रहे हैं लेकिन उससे निपटने की दिशा में शायद प्रवर्धित नहीं कर रहे हैं। भारत ने इसकी निम्नलिखित पहल की है -

(i) अप्रैल 2002 में ज-77 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत ने इस दिशा में सभी देशों को प्रेरित किया तथा इस शिखर सम्मेलन ने आतंककारी गतिविधियों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की साधारण सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को शीघ्र क्रियान्वित करने का आह्वान किया।

(ii) जून, 2000 में सम्पन्न जी-15 के काहिरा सम्मेलन में भी भारत की पहल पर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की भर्त्सना की गई और इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के तहत समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

(iii) 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत ने अमेरिका को आतंकवाद के खत्म के लिए अपने पुरे योगदान का आश्वासन दिया।

(iv) 6 जनवरी, 2002 को भारत-ब्रिटिश नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध चार मूल बिन्दु निर्धारित किये गये जिनके प्रात प्रातवद्धता दोनों देशों ने व्यक्त की। ये निम्न है →

(अ) आतंकवाद को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

(ब) आतंकवाद को समर्थन देने वाले व्यक्तियों व संगठनों की निन्दा की जाए।

(स) पारस्परिक सहयोग के लिए आतंकवाद उन्मूलन समिति बनाने पर सहमति

(v) 11 सितम्बर 2001 को सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के 62 वें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा वार्षिक आतंकवाद विरोधी शीतनीति को स्वीकार किये जाने को एक महत्वपूर्ण घटना बताते हुए भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष की हिमायत की।

(vi) दक्षिण के 16 वें शिखर सम्मेलन में (2010) में दक्षिण एशिया में बढ़ते आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ को समाप्त करने व आपराधिक मामलों में परस्पर सहयोग के साथ सदस्य देशों ने समर्थन किया तथा आतंकवाद, चरमपंथ और अत्याचार से सामूहिक रूप से लड़ने की प्रतिज्ञा की।